

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- पर्वतपुर

वि0ख0- औराई

जनपद- भदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 15/04/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	जयश्री देवी	पिछड़ा वर्ग 32	अध्यक्ष	9935115513
2	राघवेंद्र जी पाण्डेय	सामान्य	सचिव	9555321424
3	वासन्ती यादव	पिछड़ा वर्ग 50	कोषाध्यक्ष	8604131480
4	जोखन यादव	पिछड़ा वर्ग 40	सामान्य सदस्य	9935258082
5	सुमन यादव	पिछड़ा वर्ग 25	सामान्य सदस्य	9519559272
6	अन्जु सिंह	सामान्य 42	सामान्य सदस्य	
7	निशा देवी	पिछड़ा वर्ग 28	सामान्य सदस्य	
8	प्रभावती	पिछड़ा वर्ग 70	सामान्य सदस्य	
9	राजीतराम	पिछड़ा वर्ग 45	सामान्य सदस्य	8756816245
10	आखिलेश	पिछड़ा वर्ग 22	सामान्य सदस्य	
11	शमशेर	अल्प पिछड़ा वर्ग 40	सामान्य सदस्य	7271959230
12	मुस्ताक	अल्प पिछड़ा वर्ग 29	सामान्य सदस्य	8429002027
13	अमरनाथ यादव	पिछड़ा वर्ग 70	सामान्य सदस्य	8528643638
14	सुरेश सिंह	सामान्य 55	सामान्य सदस्य	9621687274
15	मिथलेश यादव	पिछड़ा वर्ग 46	सामान्य सदस्य	9264983615

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।





- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

**ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-**

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगुठों
1	श्रीमती जयश्री देवी	अध्यक्ष	जयश्री देवी
2	श्री राधर्विन्दु जी पाण्डेय	सचिव	
3	वसन्ता पादव	कोषाध्यक्ष	वसन्ता पादव
4	जोखन माधव	सामान्य सदस्य	जोखन माधव
5	सुमन पादव	सामान्य सदस्य	सुमन देवी
6	अन्जु सिंह	सामान्य सदस्य	अन्जु राही ह
7	निशा देवी	सामान्य सदस्य	निशा देवी
8	प्रभावती	सामान्य सदस्य	
9	राजीव राम	सामान्य सदस्य	राजिव राम
10	आरकेवेश	सामान्य सदस्य	
11	शमशेर	सामान्य सदस्य	शमशेर
12	सुरताक	सामान्य सदस्य	सुरताक
13	अमरनाथ पादव	सामान्य सदस्य	
14	सुरेश सिंह	सामान्य सदस्य	सुरेश सिंह
15	मिथलेश पादव	सामान्य सदस्य	MAA

